दावा प्रकरण क. 1136/2025 मनोज यादव विरूद्ध रफीन व अन्य

Witness No..... 01..... for .अनावेदक साक्षी ... Deposition taken the ..... —05/08/2026—day – बुधवार—. Witness's apparent age .—45 वर्ष... States on affirmation -शपथपूर्वक..... my name is — प्रवीण सिजारिया s/o — स्व. श्री पी.पी. सिजारिया Occupation — मैनेजर लिटिगेशन address :- एच.डी.एफ.सी. अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फाफाडीह चौक, रायपुर छ.ग.

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री दीपेश थवाईत अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क. 3

01. मैं सितम्बर 2023 से एच.डी.एफ.सी. अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फाफाडीह चौक, रायपुर में मैनेजर लिटिगेशन के पद पर कार्यरत हूं।

02. एक नए बैकहो लोडर जे.सी.बी. का बीमा दिनांक 30.12.2024 से 29.12.2025 तक मिसलेनियस केरिंग कम्प्रेंसिव पॉलिसी के शर्तों एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हमारी कंपनी से पॉलिसी जारी की गई है जिसका **पॉलिसी क्रमांक 2316207070454300000** के अंतर्गत बीमित है। उक्त पॉलिसी की सत्यापित प्रति **प्रदर्श डी. 1** है जिसके अ से अ भाग पर सत्यापन स्वरूप मेरे हस्ताक्षर है। **प्रदर्श डी. 1** की पॉलिसी कुल 12 पन्नों में हैं।

03. **प्रदर्श डी.** 1 के ब से ब भाग पर पॉलिसी से लाइसेंस संबंधित शर्तों का उल्लेख है, जिसके अनुसार प्रश्नगत वाहन के दुर्घटना दिनांक एवं समय का चालक के पास वैध एवं प्रभावशील लाइसेंस होना अनिवार्य है। उक्त शर्ते वाहन के बीमा की शर्ते हैं जो तृतीय पक्ष क्षति, वाहन क्षति तथा व्यक्तिगत दुर्घटना क्षति में लागू होते हैं। इस प्रकरण में वाहन स्वामी एवं वाहन के चालक द्वारा बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना और वाहन के चालक के

लाइसेंस के दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है तथा बीमा कंपनी द्वारा अन्वेषण कराये जाने पर प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस अंतिम प्रतिवेदन **प्रदर्श पी. 1** के सत्यापित प्रति भी प्राप्त हुई थी, चूंकि **प्रदर्श पी. 1** पूर्व से प्रस्तुत है इसलिए बीमा कंपनी के द्वारा पृथक से उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. **प्रदर्श पी. 1** के अ से अ भाग पर चालक के पास लाइसेंस नहीं होने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 5/180 लगाये जाने का उल्लेख है तथा ब से ब भाग पर वाहन के चालक सहित वाहन के स्वामी को अभियुक्त बनाये जाने का उल्लेख है।

05. बीमा कंपनी के अन्वेषक के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 1 वाहन चालक का लर्निंग लाइसेंस की थाना कांसाबेल जिला जशपुर से सत्यापित प्रति प्राप्त हुई है। उक्त लाइसेंस की सत्यापित प्रति **प्रदर्श डी. 2** है।

06. **प्रदर्श डी. 2** के अनुसार रफीन एक्का के पास **दिनांक 26.05.2025 से 25.11.2025 तक लर्निंग लाइसेंस था** और इस प्रकरण में **दुर्घटना का दिनांक 18.05.2025 है।** अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा इस प्रकरण के दुर्घटना दिनांक के पश्चात् लर्निंग लाइसेंस बनवाया गया है। **प्रदर्श डी. 2** के दस्तावेज से भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 के पास दुर्घटना दिनांक 18.05.2025 को प्रश्नगत वाहन को चलाने का लाइसेंस नहीं था और प्रकरण में प्रस्तुत **प्रदर्श पी. 24** जिसे आवेदक ने प्रस्तुत किया है उक्त दस्तावेज में भी पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर **लर्निंग लाइसेंस दिनांक 28.05.2025** को प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है।

07. बीमा पॉलिसी के लाइसेंस से संबंधित शर्तों का उल्लंघन होने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज वर्मा अधिवक्ता वास्ते आवेदक

8. यह कहना सही है कि दांडिक प्रकरण के अभियोग पत्र के अनुसार वाहन चालक रफीन एक्का अनावेदक क. 1 की उम्र 33 वर्ष उल्लेखित है।

9.यह कहना सही है कि जो व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो तो वह व्यक्ति मोटर सायकल विथ गेयर तथा हल्का मोटर यान चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार रखता है, साक्षी का स्वतः कथन है कि आर.टी.ओ. में लाइसेंस प्रदाय करने हेतु विधिवत् आवेदन किए जाने पर ही संबंधित आर.टी.ओ. द्वारा लाइसेंस प्रदाय किया जाता है।

10. यह कहना सही है कि मैंने दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है और हमारी कंपनी की ओर से इस दुर्घटना दावा के संबंध में अन्वेषण करा लिया गया है। यह कहना सही है कि अन्वेषण रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है, साक्षी का स्वतः कथन है कि अन्वेषण के दौरान प्राप्त लर्निंग लाइसेंस का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

11. यह कहना सही है कि बीमा कंपनी की संविदा बीमा पॉलिसी के संदर्भ में वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 के साथ है। यह कहना सही है कि दांडिक प्रकरण के अनुसार बीमित वाहन से एक्सीडेंट होना पाया गया है।

12. यह कहना सही है कि बीमा पॉलिसी के अनुसार तृतीय पक्षकार को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए बीमा पॉलिसी में जोखिम आच्छादित है, साक्षी का स्वतः कथन है कि तृतीय पक्षकार की जोखिम तब कवर होती है जब बीमित वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा हो।

दावा प्रकरण क. 1136/2025 मनोज यादव विरूद्ध रफीन व अन्य

अनावेदक कमांक 1 एवं 2 एकपक्षीय

गवाह को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
तृतीय अति.मो.दु.दा. अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

सही/–

(शैलेश शर्मा)
तृतीय अति.मो.दु.दा अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर.....